तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8.8.19	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 11.9.19 को पेश की जावे (हस्ताक्षर)	
11/9/19	पत्रावली पेश हुई SDO सा. राजस्व अधिकारियों की मीटिंग में व्यस्त है उभयपक्ष उप. अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 25/9/19 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
25/9/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप. वकील प्रार्थी बहस हेतु समय चाहते है अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 31/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31/10/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप. बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 7/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7/11/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा मुकदमा हो। पत्रावली मूल पत्रावली दावे के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) 7/11/19	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज॰
(पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस)

वाद संख्या : 130/2018

भारत कुमार पिता मु0 मोहन खटीक निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

---------- प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गाबाई पुत्री स्व0मोहन खटीक निवासी बेगूँ हाल पति कालूलाल खटीक निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ राज॰
2. इन्द्राबाई पुत्री स्व0 मोहन खटीक निवासी बेगूँ हाल पति लोकेश खटीक निवासी कावाखेडा भीलवाडा राज॰
3. रेखाबाई पुत्री स्व0 मोहन खटीक निवासी बेगूँ हाल पति सांवरा खटीक निवासी धानमण्डी बडा मन्दिर के पास भीलवाडा राज॰
4. घीसीबाई पत्नी स्व0 मोहन खटीक निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
5. शांतिबाई पत्नी स्व0 मोहन खटीक निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

---------- अप्रार्थीगण

उपस्थित :

एस.के.बीलू
अधिवक्ता प्रार्थी
आई.एम.अजमेरी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

आदेश दिनांक 07.11.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय में अधिवक्ता श्री एस.के.बीलू द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार :-

कि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के विरूद्ध एक वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है जो सत्य एवं ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा परन्तु मूलवाद के विचारण एवं निस्तारण में समय लगेगा इसलिए शीघ्र न्याय प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया है। मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 से लगाकर 5 तक के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मण्डावरी तहसील बेगूँ में स्थित है। यह भूमि अविभाविज होकर इसके खाता संख्या 88 है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी नं0	क्षेत्रफल हे0में	लगान रू. में
276मी.	0.2520	5.80
276	0.2520	1.42
281मी.	0.0320	1.09
285	0.2830	8.56
411/287	0.0970	0.42
कुल किता 5	रकबा 0.664 हे0	17.85 रू में

उक्त वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 से लगाकर 5 तक का भी प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा निहित है। इस कृषि भूमि का बंट्वारा नही होने से मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है, साथ ही विपक्षीगण इस भूमि का बिना बट्वारा कराये बैचान करने पर आमादा है। मुझ प्रार्थी को दिनांक 24.06.2018 को विपक्षीगण ने इस जमीन को बेचान करने की धमकी दी, इसलिए मुझ प्रार्थी को वादपत्र मय प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

उक्त वर्णित कृषि भूमि का मै प्रार्थी 1/6 हक हिस्से का खातेदार हू इस प्रकार सुविधा सन्तुलन मुझ प्रार्थी के पक्ष में साबित है। विपक्षीगण उक्त अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि को बेंचान, रहन, खुर्दबुर्द कर दी तो मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में सम्भव नही होगा इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निशेधज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थनापत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि को बैचान, रहन, खुर्द-बुर्द , दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथीर्हगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आई. एम. अजमेरी द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री आई. एम. अजमेरी ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 कि ओर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, " उक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी पर कब्जा विपक्षीगण का है। प्रार्थी का 12/6 हक हिस्सा नही है क्योंकि आराजी न0 287/411 पुर्व में ही गोद के पहले ही विपक्षी संख्या 1 से 3 दुर्गा, रेखा, इन्द्रा को विवाह के समय हथेले में दे दिया थ और उक्त आराजी पर कब्जा उसी समय से ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का चला आ रहा है। सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार नही किया जा सकता है।"

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

उक्त अप्रार्थीगण के जवाब के बाद अप्रार्थी संख्या 1 से 3 कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार है, " अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता मोहनलाल जी ने दिनांक 17/12/2014 को आराजी नं0 285, 411/287 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाम वसियत कर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दे दी थी। इस प्रकार आराजी संख्या 285, 411/287 के हकदार तीनो बहने रेखा इन्द्र दुर्गा है और प्रार्थी का इस पर कोई हक अधिकार नही है। भूमि पर निरन्तर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

वर्तमान में वाद प्रस्तुत के पुर्व में ही भूमि का हक त्याग प्रतिवादिया घीसीबाई और शांतिबाई ने रेखा, दुर्गा इन्द्रा के पक्ष में कर दिया है इस कारण खाते की स्थिति में परिवर्तन वाद प्रस्तुती के पुर्व ही हो चुका था जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही है। प्रार्थी का आराजी नं0 285 , 411/287 भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही रहा हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावे।"

जवाब प्रस्तुत होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस में उपस्थित आए। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी गण उक्त वर्णित आराजी को बिना विभाजन कराए ही बेचान करने की धमकी दे रहे है। है। विपक्षीगण उक्त अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि को बेंचान, रहन, खुर्दबुर्द कर दी तो मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में सम्भव नही होगा अतः मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निशेधज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थनापत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि को बैचान, रहन, खुर्द-बुर्द , दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त बहस का विरोध प्रकट कर, उक्त आराजी की वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत करते हुये बताया कि गोदनामें के पुर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता मोहनलाल जी ने दिनांक 17/12/2014 को आराजी नं0 285, 411/287 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाम वसियत कर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दे दी थी। इस कारण उक्त भूमि का मालिकाना हक सिर्फ तीनो बहने रेखा, दुर्गा व इन्द्रा अप्रार्थी स0 1 से 3 का है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 घीसीबाई एवं शांतीबाई ने अपने हक हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 1 से 3 रेखा दुर्गा व इन्द्रा के पक्ष में कर दिया है जिस कारण उक्त खाते की परिस्थिति ही बदल गई है तथा प्रार्थी का उक्त खाते में 1/6 हक हिस्सा नही रह जाता है। उक्त भूमि पर कब्जा भी अप्रार्थीगण का ही निरन्तर चला आ रहा है। अप्राथीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

सहखातेदार होने से उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश पारित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस में प्रस्तुत किये गए दस्तावेजो का अध्ययन किया गया।

बहस में प्रस्तुत किये गए दस्तावेज के आधार पर आराजी नं0 285, 411/287 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाम वसियत कर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दे दी थी जिस कारण उक्त भूमि पर मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का होता है, इस संबंध मूल वाद विचाराधीन है किंतु अप्रार्थीगण सहखातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा अपना हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को किये जाने से खाते की स्थिति में बदलाव हुआ है। इस तरह प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है चुकि वर्तमान में प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं अप्राथीगण सहखातेदार है। सहखातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबंद किये जाने से असुविधा भी अप्रार्थीगण को होगी इस तरह सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित भूमि पर अपना हक हिस्सा 1/6 बताया है जो वर्तमान में खाते की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तथा अप्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज भूमि का विक्रय कर भी देते है तो भी प्रार्थी का अपना हिस्सा शेष रहता है। इस प्रकार अपुर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

उक्त तीनों शर्तो को प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असमर्थ प्रतीत हुआ है तथा सहखातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबंद किया जाना हम उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नही होने से एतद द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07/11/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

7/11/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बेगूं जिला चित्तौडगढ़ राज०

Scanned by CamScanner